प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 09 मई, 2017**

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अवशेष मैचिंग राज्यांश की धनराशि की वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक से स्वीकृति के संबंध में (अनुदान संख्या-13)।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-09/2017/248/38-4-17-18(बजट)/2015-टी0सी0 दिनांक 03.05.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में उल्लिखित "चालू वित्तीय वर्ष 2017-18" के स्थान पर टंकण त्रुटि के कारण वित्तीय वर्ष 2016-17 अंकित हो गया है। अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-09/2017/248/38-4-17-18(बजट)/2015-टी0सी0 दिनांक 03.05.2017 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित " चालू वित्तीय वर्ष 2016-17" के स्थान पर "चालू वित्तीय वर्ष 2017-18" पढ़ा जाय।

3- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,
प्रभात कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

संख्या- 10/2017/392 (1)/38-4-2017, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-श्री समीर वर्मा, निदेशक, (आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3-अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4-निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6-सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (के0 स0) अनुभाग।
8-राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
9-बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
10-ग्राम्य विकास अनुभाग-3
11-गार्डबुक।

आज्ञा से,
प्रभात कुमार श्रीवास्तव
संयक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।